न्यायालयः प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी –सज्जन सिंह सिसौदिया)

Registration No-15/2022
Filing No-688/2022
C.N.R. No- MP-3301-005345-2022
Filing Date-16-09-2022

रेखा शर्मा पुत्री गिरजा शंकर शर्मा,
उम्र 60 वर्ष, निवासी जवाहर कॉलोनी
विजय एजेंसी के पास वार्ड नं. 25
जिला शिवपुरी म0प्र0। ....**आवेदिका**

// विरूद्ध //

1– सर्वसाधारण की ओर से सेलिमा बोस शर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश कुमार शर्मा, पता फ्लेट क्र. 1ए, ब्लॉक, भवानी एन्क्लेव, बी.एम.सी. अपार्टमेंट्स, शाहिद नगर, भुवनेश्वर, जिला खोरदा (ओड़िसा) पिन–751007

2– शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0 ....**अनावेदकगण**

//आदेश//
(आज दिनांक 05/09/2023 को पारित किया गया)

1– इस आदेश के द्वारा आवेदिका श्रीमती रेखा शर्मा की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

2– आवेदिका रेखा शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में पूर्व में जारी सूचना पत्र सम्यक रूप से निर्वहन हुआ किंतु अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण अनावेदक क्र. 1 सर्वसाधारण दिनांक 14.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अनावेदक क्र. 2 के विरूद्ध आदेश दिनांक 23.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त एकपक्षीय कार्यवाही के तहत आवेदिका रेखा शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये और प्रकरण में तर्क श्रवण किये जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.12.2022 को पारित किया गया और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। सर्वसाधारण की ओर से सेलिमा बोस शर्मा द्वारा उक्त एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने बावत एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसमें उभयपक्ष की साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के उपरांत दिनांक 27.01.2023 अनुसार अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.12.2022 अपास्त किया गया तत्पश्चात उभयपक्ष की साक्ष्य अभिलिखित की जाकर दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात यह आदेश पुनः पारित किया जा रहा है।

3– आवेदिका रेखा शर्मा की ओर से आवेदन दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत किया गया जिसमें सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिये सर्वसाधारण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आवेदिका रेखा शर्मा के कथन लेखबद्ध किये जाकर दिनांक 21.12.2022 को एकपक्षीय आदेश पारित होने के उपरांत अनावेदिका सेलिमा बोस द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के संबंध में प्रथक से एम.जे.सी. क्र. 01/2023 कायम की गई और साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के उपरांत आदेश दिनांक 27.01.2023 अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई तत्पश्चात अनावेदिका की ओर से मूल आवेदन पत्र का उत्तर मय लेखसूची दस्तावेज के प्रस्तुत किया और उभयपक्ष की साक्ष्य पुनः अभिलिखित की गई और तर्क श्रवण किये जाकर यह आदेश द्विपक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है।

4– आवेदन इस प्रकार है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा पुत्र गिरजा शंकर शर्मा, उम्र 67 वर्ष, निवासी जगतपुरा कॉलोनी शिवपुरी, जिला शिवपुरी की मृत्यु दिनांक 01.09.2022 को बी.आई.एम.आर. अस्पताल ग्वालियर में हो गयी थी और अंत्येष्टि मुक्तिधाम शिवपुरी में हुई थी। मृतक सुरेश कुमार शर्मा आवेदिका का भाई था और आवेदिका के अलावा मृतक के अन्य कोई वारिस नहीं है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा शासकीय कर्मचारी थे और निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी से रिटायर हुये थे। मृतक सुरेश कुमार शर्मा की पत्नी उषा शर्मा मृत्यु दिनांक 05.05.2015 में और मृतक के पिता गिरजा शंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक 09.05.1999 को एवं मृतक की मां श्रीमती रूकमणी शर्मा की मृत्यु दिनांक 17.05.1991 को हो गई है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा निःसंतान थे उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। मृतक सुरेश कुमार शर्मा आवेदिका के बडे भाई थे और आवेदिका मृतक सुरेश कुमार शर्मा पर आश्रित थी व अविवाहित है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा शासकीय सेवा से रिटायर्ड हो चुके थे और निर्वाचन कार्यलय शिवपुरी में कार्यरत होकर सेवा निवृत्त हो चुके थे जिनका पेंशन का पी.पी.ओ. नं. 15/39/डी.पी.ओ./0332 जिनका भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोलारस में खाता नं. 53029589556 है जिसका आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0030087 हे उसमें मृतक सुरेश कुमार शर्मा के 10,87,117.8/– रूपये जमा है और उक्त राशि को आवेदिका प्राप्त करने की हकदार है। आवेदिका मृतक सुरेश कुमार शर्मा की सगी बहन है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा आवेदिका के साथ ही रहते थे क्योंकि आवेदिका अविवाहित है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा की संपूर्ण चल–अचल संपत्ति की वारिस आवेदिका है और मृतक की भारतीय स्टेट बैंक में जमा धन–राशि संपूर्ण प्राप्त करने की अधिकारी है। आवेदिका ने उक्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोलारस में मृतक सुरेश कुमार शर्मा की जमाशुदा राशि के भुगतान हेतु गई तो उक्त बैंक के द्वारा उसको भुगतान नहीं किया गया तथा न्यायालय से आदेश प्राप्त करने को कहा गया है। वाद कारण मृतक सुरेश कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 01.09.2022 से उत्पन्न हुआ है जो दिन प्रतिदिन हो रहा है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा शिवपुरी के निवासी थे और आवेदिका भी शिवपुरी की निवासी है। इस कारण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है। अतः मृतक सुरेश कुमार शर्मा पुत्र गिरजा शंकर शर्मा, उम्र 67 वर्ष, निवासी जगतपुर कॉलोनी शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0 की भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोलारस में खाता नं. 53029589556 में धन राशि 10,87117.8/– रूपये आवेदिका को भुगतान किये जाने बावत उसके पक्ष में

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– अनावेदक कमांक 01 के द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अलावा आवेदिका के संपूर्ण अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये यह अभिवचन किया है कि मृतक द्वारा दिनांक 10.07.2022 को आवेदिका के साथ रायपुर में विवाह किया गया था, विवाह प्रमाण की प्रति न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही प्रकरण कमांक एम.जे.सी. 01/2023 में पेश है। मृतक के द्वारा दूसरी शादी दिनांक 10.07.2022 को आवेदिका के साथ रायपुर, छत्तीसगढ में की गयी थी। विधिक प्रमाणीकरण के अभाव में यह कहना मुमकिन नहीं है कि आवेदिका मृतक की सगी बहन थी या नहीं। आवेदिका द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक क. 2 के समक्ष मृतक की मृत्यु उपरांत, सगी बहन होने के नाते राशि प्राप्ति हेतु कोई भी हक पेश किया गया था।

6– अनावेदक कमांक 01 के द्वारा विशेष अभिवचन किया है कि दिनांक 06.02.2010 को जवाबकर्ता के प्रथम पति उदय बोस का देहांत बुडलेंड्स मेडिकल सेंटर लिमिटेड, कोलकाता में हुआ था जिसके उपरांत ही जवाबकर्ता द्वारा दिनांक 10.07.2018 को मृतक के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़ में विवाह किया गया था। मृतक उदय बोस का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रकरण क. एम.जे.सी. 01/2023 में पेश है। जवाबकर्ता के द्वारा दिनांक 03.10.2022 एवं 27.12.2022 को पंजीकृत डाक एवं दिनांक 27.12.2022 को ई–मेल के माध्यम से अनावेदक क. 2 के समक्ष अपने उत्तराधिकार हेतु मृतक की शेष बैंक राशि प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना पत्र पेश किया था जिसकी प्रति न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही प्रकरण क. एम.जे.सी. 01/2023 में पेश है। जवाबकर्ता द्वारा दिनांक 13.12.2022 को मृतक की समस्त शेष चल संपत्तियों को प्राप्त करने हेतु आवेदिका एवं अन्य रिस्तेदारों को अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया था जिसका जवाब सूचना पत्र दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से समस्त सूचितगणों द्वारा संयुक्त रूप से अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदिका को पेश कर यह जवाब प्रेषित किया कि वर्तमान जवाबकर्ता मृतक की पत्नी नहीं है उक्त सूचना पत्र की प्रति न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही प्रकरण क. एम.जे.सी. 01/2023 में पेश है। जवाबकर्ता भुवनेश्वर में निवासरत होकर किडजी विद्यालय की प्राचार्य अध्यापिका है। जवाबकर्ता एवं विद्यालय के मध्य हुये अनुबंध की असल प्रति न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही प्रकरण क. एम.जे.सी. 01/2023 में पेश है एवं अनुबंध पत्र के दोहराने का 'रिन्यूअल लेटर' दिनांक 23.02.2021 की प्रति न्यायालय के समक्ष अनुलग्न 1 से चिन्हित एवं संलग्न होकर पेश है। अतः वर्तमान जवाबकर्ता के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि अनावेदक क. 2 को वर्तमान जवाबकर्ता के हित में मृतक के बैंक खाते में शेष समस्त राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जावे, वर्तमान जवाबकर्ता के हित में मृतक के वास्ते, विधिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जावे एवं अन्य जो भी सहायता न्यायालय उचित समझे दिलायी जाने का निवेदन किया गया है।

7– अनावेदक कमांक 02 के द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अलावा आवेदिका के संपूर्ण अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये यह अभिवचन किया है कि अनावेदक बैंक न्यायालय के आदेश अनुसार सक्षम व्यक्ति को राशि अदायगी हेतु तत्पर है। मृतक सुरेश कुमार शर्मा के बैंक अकाउण्ट में नॉमिनी न होने से न्यायालय के आदेश की बाध्यता है।

8– अनावेदक कमांक 02 के द्वारा विशेष आपत्ति में यह अभिवचन किया है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा द्वारा अपने जीवन काल में अनावेदक क्र. 2 बैंक से पर्सनल लोन 3,96,000/– रूपये दिनांक 10.08.2021 को प्राप्त किया हुआ था जिसका ऋण खाता क्र. 40356947855 है। बैंक अकाउण्ट स्टेटमेंट के अनुसार अनावेदक बैंक को मृतक से कुल 3,72,839/– रूपये लेना बकाया है। अतः मृतक की जमा कुल राशि में से अनावेदक बैंक को लोन राशि 3,72,839/– मुजरा कर शेष राशि को समक्ष व्यक्ति को अदा करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

9– आवेदिका के हित में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है–

1	क्या आवेदिका रेखा शर्मा मृतक सुरेश कुमार शर्मा पुत्र गिरजाशंकर शर्मा, उम्र 67 वर्ष, निवासी जगतपुर कॉलोनी शिवपुरी,जिला शिवपुरी म0प्र0 की छोटी सगी बहन होकर वैध उत्तराधिकारी है ?
2	क्या मृतक सुरेश कुमार शर्मा पुत्र गिरजा शंकर शर्मा, उम्र 67 वर्ष, निवासी जगतपुर कॉलोनी शिवपुरी, जिला शिवपुरी म0प्र0 की मृत्यु हो जाने से आवेदिका मृतक के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोलारस में खाता नं0 53029589556 में जमा धन राशि 10,87,117.08/–रूपये को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ?
3	सहायत एवं व्यय ?

विचारणीय प्रश्न क्र.1 लगायत 3 का सकारण निष्कर्षः–

10– साक्ष्य की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

11– आवेदिका रेखा शर्मा द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा उसके बडे भाई थे जिनकी मृत्यु 2 सितम्बर 2022 को हो गई है जो निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में कार्यरत थे और रिटायर्ड होने के बाद उसके साथ ही रहते थे। सुरेश कुमार शर्मा की मृत्यु होने के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी0 3 प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार आवेदिका के कथन अनुसार मृतक सुरेश कुमार शर्मा की पत्नी श्रीमती उषा शर्मा थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है जिस संबंध में प्र0पी0 4 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे उषा शर्मा की मृत्यु 05.05.2016 को होना उल्लेखित है तथा उसकी मां श्रीमती रूकमणी की मृत्यु होने के संबंध में प्र0पी0 5 का मुत्यु प्रमाण पत्र तथा पिता गिरजा शंकर की मृत्यु होने के संबंध में प्र0पी0 6 का मृत्युप्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तथा मृतक सुरेश कुमार शर्मा के साथ संयुक्त रूप से निवास करने के संबंध में राशनकार्ड प्र0पी0 8 प्रस्तुत किया गया है जिसमें सुरेश कुमार शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा एवं आवेदिका रेखा शर्मा का नाम उल्लेखित है। उक्त राशनकार्ड के संबंध में आवेदिका द्वारा चरण क्र. 11 में यह कथन किया है कि राशनकार्ड के पृष्ठ क्र. 14 में उसका एवं सुरेश कुमार शर्मा के मध्य भाई एवं बहन होने के रिस्ते का प्रमाण प्रस्तुत है। इस संबंध में अनावेदक की ओर से राशनकार्ड में श्रीमती उषा शर्मा का नाम भी लेख होने के संबंध में पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि श्रीमती उषा शर्मा जीवित नहीं है किंतु पुराना राशनकार्ड है जब उसका और सुरेश कुमार शर्मा के रिस्ते के संबंध में पूछा

गया फिर राशनकार्ड बनवाया था जबकि उक्त राशनकार्ड में सुरेश कुमार की उम्र 45 वर्ष, श्रीमती उषा शर्मा की उम्र 41 एवं आवेदिका रेखा शर्मा की उम्र 36 वर्ष लिखा हुआ है जबकि श्रीमती उषा शर्मा की मृत्यु 05.05.2016 को होना प्र0पी0 4 के मृत्युप्रमाण पत्र में उल्लेखित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि राशनकार्ड काफी समय पूर्व बनाया गया था जिस समय मृतक सुरेश कुमाार शर्मा की मृत्यु 45 वर्ष थी जबकि उनकी मृत्यु के समय उम्र 67 वर्ष होना आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में ही अभिवचन किया है।

12– जबकि आवेदिका के कथनों से ही यह स्पष्ट होता है कि राशनकार्ड प्र0पी0 8 मूल दस्तावेज है जो कि मृतक से उसके भाई बहन का संबंध दर्शाता है। इसी प्रकार राशनकार्ड प्र0पी0 8 के उपर जो निरीक्षक पद का उल्लेख है उस पर कोई भी हस्ताक्षर एवं सील मौजूद नहीं है जिसे आवेदिका द्वारा कथन चरण क्र. 12 में स्वीकार किया है। आवेदिका के अभिवचन एवं कथन अनुसार वह अविवाहित होकर उसके बडे भाई मृतक सुरेश कुमार शर्मा के साथ निवास करती थी और उसी की आय पर आश्रित थी जबकि चरण क्र. 22 में सुरेश कुमार शर्मा कोलारस में निवास करना बताया है तथा शिवपुरी में भी आ जाते थे तथा आवेदिका का यह भी कथन है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा की पत्नी श्रीमती उषा शर्मा का निधन होने के उपरांत उसने दूसरा विवाह नहीं किया था तथा स्वयं को मृतक की आय पर आश्रित होना कथन किया है जबकि चरण क्र. 23 में यह भी कथन किया है कि बैंक में मृतक सुरेश कुमार शर्मा का जो वर्तमान पेंशन खाता है उसमें कोई नॉमिनी नहीं है, इसलिये उत्तराधिकार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदिका द्वारा उसके आधार कार्ड में जन्म दिनांक क्या उल्लेखित हुआ है उसकी भी कोई जानकारी नहीं होना कथन किया है एवं स्वयं को स्नातक तक पढी लिखी होना चरण क्र. 13 में कथन किया है। आवेदिका द्वारा मृतक सुरेश कुमार शर्मा का आधार कार्ड प्रस्तुत किया है किंतु स्वयं का कोई आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिसे चरण क्र. 11 में स्वीकार किया है कि जन्म के संबंध में कोई प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं किया है जबकि स्वतः में यह कथन किया है कि उस समय कोई प्रमाण पत्र नहीं बनते थे जबकि स्वयं को मृतक सुरेश कुमार शर्मा की छोटी बहन होना कथन एवं अभिवचन किया है जबकि सुरेश कुमार शर्मा का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है वहीं स्वयं के कथनों का अभिखण्डन करते हुये यह कथन किया है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि उसका आधार कार्ड किस दिनांक एवं वर्ष में बना है। इस प्रकार मृतक सुरेश कुमार शर्मा के साथ निवासरत होकर उसकी आय पर आश्रित होने बावत कोई स्पष्ट कथन या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जबकि स्वयं के कथन स्थिर न होकर भिन्न भिन्न हैं।

13– आवेदिका रेखा शर्मा द्वारा अपने कथन चरण क्र 4 में वसीयतनामा के संबंध में यह कथन किया है कि स्व. श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा लिखा वयीयतनामा पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है जो कि उनकी ही हस्तलिपि में तथा उनके द्वारा उनकी चल–अचल संपत्ति का एकमात्र वारिस उसे ही माना है। इसी प्रकार चरण क्र. 8 में यह बताया है कि जब वह दस्तावेज ढूढ रही थी आवेदन लगाने के लिये तब वसीयतनामा प्र0पी0 9 मिला उसके बाद रामनाथ तिवारी एवं शिवम तिवारी को बुलाया और उनसे पूछा तब उन्होंने बताया कि यह वसीयतनामा है और आपके नाम का है उसके बाद पुनः उक्त कथन का अभिखण्डन करते हुये प्रश्न पूछे जाने पर यह उत्तर दिया कि वसीयतनामा प्रकरण में पेश इसलिये नहीं किया क्योंकि वह बाद में मिला था

तथा बैंक के सामने भी उक्त वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं करना कथन किया है। इसी प्रकार चरण क्र. 9 में यह प्रश्न पूछे जाने पर कि सुरेश कुमार शर्मा से मधुर रिस्ता होने के बाद भी उन्होंने इस वसीयतनामा के बारे मे आपको जानकारी नहीं दी तब यह उत्तर दिया कि वसीयतनामा 2012 में लिखा गया तब मंदिर निर्माण चल रहा था इस समय रामनाथ तिवारी और शिवम तिवारी आये तब बनाया था तथा स्वयं के पहचान के संबंध में आधार कार्ड और राशन कार्ड प्रस्तुत किया जाना कथन किया है किंतु उक्त आधार कार्ड को प्रदर्शित नहीं किया गया है।

14– प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अनावेदक सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण आवेदिका रेशा शर्मा की साक्ष्य अभिलिखित की जाकर दिनांक 21.12.2022 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जिस प्रक्रम पर ही उक्त वसीयत का कोई उल्लेख नहीं किया है न ही असल या फोटोप्रति प्रस्तुत की है जबकि एकपक्षीय आदेश अपास्त किया जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने बावत अनावेदिका सेलिमा बोस द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश किया उस समय आवेदिका रेखा शर्मा द्वारा उसके भाई मृतक सुरेश कुमार शर्मा द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा जाना प्रकट किया है तथा इस प्रकरण में उक्त वसीयतनामा को प्रदर्शित भी कराया गया है जिसके अनुप्रमाणक साक्षी शिवम तिवारी आवेदक साक्षी क्र. 2 एवं आवेदक साक्षी क्र. 3 रामनाथ तिवारी द्वारा अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है इस संबंध में आवेदक साक्षी क्र. 2 शिवम तिवारी का कथन है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा पुत्र गिरजा शर्मा के द्वारा प्र0पी0 9 का वसीयतनामा लिखा गया था जिस पर उसने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे, उक्त वसीयतनामा अपने अविवाहित बहन रेखा शर्मा के पक्ष में लिखा गया था तथा मृतक सुरेश कुमार शर्मा रिस्ते में उसका फूफा होना स्वीकार किया है इस प्रकार रामनाथ तिवारी ने भी वसीयतनामा प्र0पी0 9 में सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है किंतु दोनों ही साक्षियों के द्वारा स्पष्ट यह कथन किया है कि वसीयतनामा में ऐसा लेख नहीं है कि वसीयत के समय वहां पर मौजूद थे।

15– रामनाथ तिवारी आवेदक साक्षी क्र 3 द्वारा चरण क्र. 4 में यह कथन किया गया है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा ने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण का उल्लेख किया था चल संपत्ति में उनकी गाडी, पेंशन एवं बैंक में जमा राशि का उल्लेख था, अचल संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया था तथा उक्त चरण क्रमांक में ही प्रश्नोत्तर में उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया है कि चल अचल संपत्ति का उल्लेख किया गया है वह सही है जबकि आगे यह कथन किया है कि दूसरी बार पूछे गये प्रश्न में गलती से अचल संपत्ति बोलना भूल गया था जबकि प्र0पी0 9 के वसीयतनामा में चल अचल संपत्ति चार पहिया वाहन, मोटरसाईकिल, बैंक खाते एवं पेंशन राशि अपनी बहन आवेदिका रेखा शर्मा के पक्ष में वसीयत किया जाना उल्लेखित है जबकि अचल संपत्ति क्या थी उसका विवरण न तो आवेदिका द्वारा अपने कथनों में प्रस्तुत किया है न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रकरण में मुख्य रूप से वसीयतनामा ही प्रश्नगत है और उक्त वसीयत के आधार पर ही वह मृतक सुरेश कुमार शर्मा की उत्तराधिकारी होना कथन किया है जबकि प्रस्तुत आवेदन में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है और न ही एकपक्षीय साक्ष्य अभिलिखित किये जाने पर उक्त दस्तोवज का उल्लेख किया है तथा वसीयतनामा पर मृतक सुरेश कुमार शर्मा के ही ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है यह

प्रमाणित किये जाने बावत भी कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की गई है अर्थात तुलनात्मक रूपसे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर से मिलान किया जा सके। इस प्रकार आवेदिका द्वारा मृतक सुरेश कुमार शर्मा की उत्तराधिकारी होने के दो आधार लिये है प्रथमतः वह अविवाहित होकर मृतक सुरेश कुमार शर्मा की आय पर आश्रित है जबकि बैंक में या पेंशन खाता में उसको नॉमिनी नहीं बनाया गया और नॉमिनी नहीं बनाये जाने का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है तथा उत्तराधिकार होने का दूसरा आधार वसीयत प्र0पी0 9 बतायी है जबकि उक्त वसीयत के संबंध में यह कथन किया है कि जब आवेदन प्रस्तुत करने के लिये दस्तावेज की तलाश कर रही थी तभी वसीयतनामा मिला जिसे रामनाथ तिवारी और शिवम तिवारी को बुलाकर बताया गया तब उन्होंने कहा कि यह वसीयतनामा है और आपके नाम का है जबकि स्वयं ही स्नातक तक पढी लिखी है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट किया जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है।

16– इसी प्रकार आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज ढूढे जाने पर प्र0पी0 9 का दस्तावेज प्राप्त होना कथन किया है जबकि आगे चरण क्र 9 में यह कथन किया है कि वसीयतनामा वर्ष 2022 में लिखा गया जिस समय मंदिर निर्माण चल रहा था उस समय शिवम तिवारी एवं रामनाथ तिवारी आये थे तब बताया था किंतु उक्त मंदिर की प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया और उक्त महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु निमंत्रण पत्र प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया गया जिसमें कलश यात्रा और पूजन 22 जुलाई 2022 एवं प्राणप्रतिष्ठा एवं गंगा पूजन दिनांक 26 जुलाई 2022 तथा हवन एवं भण्डारा दिनांक 27 जुलाई 2022 स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। उक्त आमंत्रण पत्र में आवेदिका रेखा शर्मा एवं मृतक सुरेश कुमार शर्मा का फोटो भी लगा हुआ है जबकि आवेदिका के कथन एवं अभिवचन अनुसार मृतक सुरेश कुमार शर्मा की मृत्यु होने उपरांत उनकी चल अचल संपत्ति प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज ढूढे जाने के दौरान उक्त वसीयतनामा प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि मंदिर के पूजन कार्यक्रम से लगायत मंदिर में हवन एवं पूर्णाहुति तक के कार्यक्रम में मृतक सुरेश कुमार शर्मा सम्मिलित होने बावत निमंत्रण पत्र में स्पष्ट फोटो होना एवं उसमें उनके नाम भी उल्लेखित है तब ऐसी स्थिति में मृतक सुरेश कुमार शर्मा की मृत्यु उपरांत खोजबीन करने के उपरांत वसीयतनामा प्र0पी0 9 प्राप्त होने के जो कथन किये गये है वह असहज एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

17– आवेदिका रेखा शर्मा द्वारा अपने कथनों में स्पष्ट यह कथन किया है कि सुरेश कुमार शर्मा के प्रथम पत्नी का देहांत हो जाने के बाद दूसरा विवाह नहीं किया तथा इस संबंध में अनावेदक अभिभाषक द्वारा सुझाव दिये जाने पर उक्त साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उसने सुरेश कुमार शर्मा को दूसरा विवाह करने से रोका था इसलिये उसका भाई सुरेश कुमार शर्मा सेलिमा बोस के साथ कोलारस में निवास करते थे जहां पर कभी नहीं गई। इस प्रकार उक्त सुझाव को इंकार किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका मृतक सुरेश कुमार शर्मा के साथ ही निवास करती थी तथा स्पष्ट यह भी कथन किया है कि वह उनकी आय पर ही आश्रित थी। चूंकि प्रमाण भार आवेदिका पर है इसलिये उसे सर्वोत्तम साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करना है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा की वह वैध उत्तराधिकारी है हालांकि अनावेदिका सेलिमा वोस द्वारा मृतक सुरेश कुमार शर्मा से विधिवत विवाह होने बावत आर्य समाज मंदिर

वैजनाथ पारा छत्तीसगढ द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र प्र0डी0 03 तथा रायपुर नगर निगम द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्र0डी0 04 प्रस्तुत किया गया है जो विधिवत रूप से जारी किया गया है उक्त दस्तावेजो के खण्डनीय ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है जिससे कि यह माना जा सके कि प्रस्तुत दस्तावेज अनावेदिका द्वारा मिथ्या आधारों पर तैयार किये गये हो।

18– यह मान भी लिया जावे कि मात्र रेखा शर्मा एवं सुरेश कुमार शर्मा ही भाई बहन होकर शिवपुरी में निवास करते थे किंतु आवेदिका के कथनों से ही यह स्पष्ट होता है कि सुरेश कुमार शर्मा कोलारस भी निवास करते थे और शिवपुरी भी आ जाते थे हालांकि मंदिर प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रण पत्र में अनावेदिका सेलिमा बोस का फोटो भी दर्शाया गया है। उक्त फोटो में सुरेश के बाद में सौतिमा शर्मा लिखा हुआ है किंतु अनावेदिका सेलिमा का पूरा नाम लिखा नहीं है जिस संबंध में अनावेदिका सेलिमा बोस ने चरण क्र. **19** मे स्पष्ट किया है कि प्र0डी0 11 के ए से ए भाग में सौतिमा शर्मा लिखा हुआ है जो मिसप्रिंट हुआ है जबकि उसका फोटो सुरेश शर्मा के साथ लगा है जिसमें सुरेश लिखा हुआ है तथा सेलिमा बोस शर्मा नहीं लिखा है इस संबंध में यह स्पष्ट लिखा है कि सुरेंश कुमार शर्मा ने अपना सरनेम शर्मा लिखा है इसलिये उसके नाम के आगे शर्मा लिखा हुआ है जबकि आवेदिका द्वारा उत्तराधिकार होने के संबंध में जो आधार लिये है उसमें महत्वपूर्ण आधार वसीयत बताई गई है जबकि वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा जो कथन किये है वे भिन्न–भिन्न है तथा तथा आवेदिका के द्वारा भी स्वयं के कथनों का अभिखण्डन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत विधिवत रूप से निष्पादित किया जाना नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 89 में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि** कोई बिल या वसीयत जिसमें कोई निश्चित आशय व्यक्त नहीं होता है अनिश्चिता के कारण शून्य है इस संबंध में **न्यायदृष्टांत गुरस्वरूप बनाम बीना (2006) 5 एस.सी.सी. 119** के निर्णय में भी इस सिद्धांत को पुनः दोहराया था कि वसीयतनामें में अनिश्चितता के तत्व होने के कारण उसे अस्वीकार किया जाएगा, जिस कारण उस पर प्रोबेट भी नहीं दिया जा सकता।''

19– आवेदिका रेखा शर्मा द्वारा मृतक सुरेश कुमार शर्मा के उत्तराधिकारी होने के जो दो आधार लिये है उन दोनों ही आधारों में कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है अर्थात वह सुरेश कुमार शर्मा की आय पर आश्रित थी किंतु स्वयं के द्वारा राशनकार्ड प्र0पी0 08 का प्रस्तुत किया है वह काफी वर्ष पुराना होकर मृतक उषा शर्मा का नाम भी उल्लेखित है जबकि उनकी मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी थी तथा आवेदिका की वर्तमान में उम्र क्या है इस संबंध में भी भिन्न भिन्न तथ्य प्रकट किये है अर्थात आवेदन पर स्वयं की उम्र 60 वर्ष होना लेख किया है जबकि कथनों के दौरान आवेदिका के द्वारा यह बताया है कि मृतक सुरेश कुमार शर्मा और उसके मध्य रिस्ते के संबंध में पूछे जाने के बाद राशनकार्ड बनवाया था तथा यह भी कथन किया है कि पुराना राशनकार्ड है किंतु उसमें संशोधन या राशनकार्ड का नवीनीकरण किया गया हो ऐसा भी कथन नहीं किया है तथा स्वयं का स्पष्ट पहचानपत्र प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शित करता है कि वह मृतक सुरेश कुमार शर्मा की एकमात्र उत्तराधिकारी है। इस प्रकार आवेदिका के द्वारा प्रथम आधार के संबंध में भी स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

20– आवेदिका द्वारा दूसरा आधार मृतक सुरेश कुमार शर्मा द्वारा उसके पक्ष में वसीयत किये जाने के आधार पर उत्तराधिकारी होने का लिया है किंतु विधिवत वसीयत निष्पादित किये जाने बावत स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है। साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विश्लेषण से मृतक सुरेश कुमार शर्मा की पूर्व पत्नी उषा शर्मा की मृत्यु दिनांक 05.05. 2016 को हुई है और सेलिमा बोस के पूर्व पति उदय बोस की मृत्यु दिनांक 06.02.2010 को बुडलेण्ड मेडिकल सेंटर कोलकाता में हुई है तथा उक्त मृत्यु उपरांत अनावेदिका सेलिमा बोस एवं मृतक सुरेश कुमार शर्मा का विवाह होने बावत आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाण पत्र एवं नगर पालिका निगम रायपुर छत्तीसगढ द्वारा दिया गया विवाह प्रमाणपत्र प्र0डी0 3 एवं 4 है तथा दोनों के विवाह होने के संबंध में विधिवत फोटो प्रस्तुत किये गये है उक्त फोटो को प्र0डी0 05 लगायत प्र0डी0 09 से चिन्हित किया गया है। अनावेदिका सेलिमा बोस के साक्ष्य के प्रक्रम पर इस तथ्य को प्रश्नगत किया गया है जिस संबंध में अनावेदक सेलिमा बोस के द्वारा चरण क्र. 9 में यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा तीन पति दर्शाये गये है और तीनों जगह नहीं रहती है तथा स्वतः में कथन किया है कि पूर्व में बरबिल केन्दुझर उडीसा में फिर कोलारस शिवपुरी में तथा वर्तमान में भुवनेश्वर निवास करती है तथा यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा कोलारस निवास स्थान का कोई पता आवेदन में लेख नहीं कराया है तथा आधार कार्ड के संबंध में चरण क्र. 26 में स्पष्ट किया है कि जब वह बरबिल रहती थी तब बरबिल का आधार कार्ड पेश किया और जब कोलाारस आई थी तब कोलारस का पता अपडेट कराया और फिर जब भुवनेश्वर गई तो वहां का पता अपडेट कराया था।

21– आवेदिका द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है और कथन किये गये है उसमें काफी भिन्नता है अर्थात जिस दस्तावेज पर निर्भरता व्यक्त की गई है उक्त दस्तावेज के संबंध में ही स्पष्ट कथन नहीं किया है तथा मृतक सुरेश कुमार शर्मा के साथ निवास करने के संबंध में भी स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जबकि सेलिमा बोस शर्मा द्वारा मृतक सुरेश कुमार शर्मा से विवाह होने के संबंध में आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाण पत्र नगर पालिका निगम रायपुर का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आदि स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिसके साथ ही फोटो भी प्रस्तुत किये है तथा मंदिर का प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का आमंत्रण पत्र जिस पर आवेदिका रेखा शर्मा, मृतक सुरेश कुमार शर्मा, अनावेदिका सेलिमा बोस शर्मा के फोटो भी स्पष्ट दर्शित होते हैं। उक्त विवाह के समस्त दस्तावेजों के खण्डनीय स्वरूप आवेदिका की ओर से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है तथा पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही के प्रक्रम पर आवेदिका के द्वारा जो तथ्य प्रकट किये थे उससे भिन्न नवीन तथ्यों के आधार पर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है जो कि आवेदन में अभिवचनित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदिका मृतक सुरेश कुमार शर्मा की उत्तराधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः दोनों विचारणीय बिंदु **''नकारात्मक''** रूप से निष्कषित किये जाते है।

22– अनावेदिका सेलिमा बोस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य अवलोकन से वह मृतक सुरेश कुमार शर्मा की विवाहित पत्नी है प्रमाणित होता है जो कि प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है चूंकि अनावेदिका द्वारा प्रथक से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रतीप (काउण्टर) आवेदन प्रस्तुत किया है। उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के परिशीलन से आवेदिका रेखा शर्मा मृतक सुरेश कुमारशर्मा के वैध उत्तराधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र

अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 निरस्त किया जाता है।

23– अनावेदिका श्रीमती सेलिमा बोस शर्मा प्रथक से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

24– आवेदन का व्यय आवेदिका द्वारा वहन किया जावेगा।

25– अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार अथवा प्रमाणित होने पर दोनों में से जो भी कम हो जोड़ा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित,
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

(सज्जन सिंह सिसौदिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
शिवपुरी (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

(सज्जन सिंह सिसौदिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
शिवपुरी (म.प्र.)

SAJJAN SINGH SISODIYA

Digitally signed by SAJJAN SINGH SISODIYA
Date: 2023.09.05 17:47:57 +0530